न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1722-तीन/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-9-2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 21/2000-01 अपील

1- लवकुश प्रसाद पुत्र लोकनाथ द्विवेदी
2- लखपतिप्रसाद पुत्र लोकनाथ द्विवेदी
3- विजयकुमार पुत्र लोकनाथ द्विवेदी
4- कुशप्रसाद पुत्र लोकनाथ द्विवेदी
ग्राम पराई तहसील चितरंगी जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- कैलाशप्रसाद पुत्र रामलूटन द्विवेदी
ग्राम पराई तहसील चितरंगी जिला सीधी
2- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक-1 के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 01 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 146/1889-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-04-2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने सहायक बंदोबस्त अधिकारी

चितरंगी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके ग्राम पराई स्थित भूमि सर्वे कमांक 831 रकबा 5.16 एकड़ पर कब्जा दर्ज करने की मांग की। सहायक बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी ने प्रकरण कमांक 180 अ-6-अ/1994-95 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 16-12-1996 पारित करके रकबा 5.16 एकड़ भूमि के बजाय रकबा 4.49 हैक्टर भूमि पर कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 76/00-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2000 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी का आदेश दिनांक 16-12-1996 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 146/1889-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-04-2006 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 76/00-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2000 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी का आदेश दिनांक 16-12-1996 को इसलिये निरस्त किया है क्योंकि उन्होंने अनावेदक क-1 को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अनावेदक की भूमि पर कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से जांच प्रतिवेदन मांगा था परन्तु जांच प्रतिवेदन पर आपत्तियॉ आमंत्रित नहीं की गई और न ही जांच अधिकारी के कथन लिये गये। अनुविभागीय अधिकारी ने माना है कि संहिता की धारा 116 के अंतर्गत कब्जा लिखने की कार्यवाही तभी की जा सकती है जबकि भू अभिलेख नियमावली भाग -1 में दी गई प्रकिया का पालन कर लिया गया हो, किन्तु सहायक बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी ने नियम एंव प्रकिया को अनदेखा करके अनावेदक कमांक - 1 की मांग से अधिक भूमि पर कब्जा दर्ज किया है जिसके कारण

अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 76/00-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-9-2000 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी चितरंगी के आदेश दिनांक 16-12-1996 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 146/1889-90 अपील में आदेश दिनांक 25-04-2006 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के आदेश दिनांक 29-9-2000 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के आदेश दिनांक 29-9-2000 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 25-4-2006 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 146/1889-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-04-2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर